न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/455 दर्ज तिथिः–03.07.2025

1. चुतराराम पुत्र रामूराम
   जाति सुथार निवासी पादरड़ी कला, सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

............................प्रार्थी

बनाम

1. कमलादेवी पत्नी भंवरलाल
2. पालूदेवी पत्नी मांगीलाल
   जाति सुथार निवासी पादरड़ी कला सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3. तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री रिड़मलराम
अप्रार्थीः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 148/2/6.0055 है0 मौजा पादरड़ी कला पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर प्रार्थीगण के रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाड़े आदि बनाए हुए है। साथ ही प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के सेढें पर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 148/1 मौजा पादरड़ी कला तहसील गुड़ामालानी अवस्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने में सफल हो जाते है तो इससे प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अंत में प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

पर अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के हाजिर न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के प्रावधान पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के प्रावधान इस प्रकार है–

> ***212. Provision for injunction and appointment of a receiver***—
> *(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —*
> *(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or*
> *(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.*
>
> *(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under subsection (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.*

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार हैः–

ORDER XXXIX
TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS
Temporary injunctions

> ***1. Cases in which temporary injunction may be granted.***—
> *Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise—*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or
(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to [defrauding] his creditors,
(c) that the defendant threatens to dispossess, the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, the Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property [or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit] as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.—
(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained, of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.
(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.

6. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—39 नियम—04 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार हैः—

4. Order for injunction may be discharged, varied or set aside.—*Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:*

Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the Court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice:

Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the Court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

7\. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। उक्त तीनों बिन्दुओं/सिद्धांतों पर प्रकरण का विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रार्थी	प्रार्थीगण का अभिकथन है कि प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के सेढें पर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने में सफल हो जाते है तो इससे प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अंत में उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
	निष्कर्ष	वर्तमान में उक्त आराजी को लेकर प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में प्रार्थी केवल अपनी खातेदारी आराजी पर प्रार्थीगण की आमदरफत में अप्रार्थीगण द्वारा उत्पन्न किये जा रहे एवं उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधान को रोकने हेतु ताफैसल प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद करवाना चाहते है। प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट है।
सुविधा का संतुलन		प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट है। इस प्रकार अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नहीं होती है। परंतु अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से असुविधा होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट झुकाव रखता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति	प्रार्थी	प्रार्थीगण का अभिकथन है कि प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी के सेढें पर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी अवस्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की माठों को तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने में सफल हो जाते है तो इससे प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी आराजी पर आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न होगा तथा इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी।
	निष्कर्ष	इस प्रकार अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को कोई क्षति नही होती है। परंतु अगर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से अपूरणीय क्षति कारित होना स्पष्ट है।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित है। इस कारण खातेदारी आराजी का स्वामित्व प्रार्थीगण के पक्ष में निर्विवादित होने के आधार पर आराजी पर कब्जा भी प्रार्थीगण का होना स्पष्ट है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से असुविधा होती है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट झुकाव रखता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण को आमदरफत में व्यवधान करने से रोकने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से अपूरणीय क्षति कारित होना स्पष्ट है। इस प्रकार न्यायालय प्रथमदृष्टया प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजी पर ताफैसल दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा संख्या 148/2/6.0055 है0 मौजा पादरड़ी कला पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन, बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने, आराजी की सीमाओं में परिवर्तन नहीं करने, आराजी पर काश्त नहीं करने व मौकास्थिति बनाए रखने बाबत् अप्रार्थीगण को ताफैसल मूल दावा संख्या 2025/454 तक पाबंद करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested

चुतराराम बनाम कमलादेवी
2025/455
निर्णय दिनांकः—01.09.2025

आज 01.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:21 IST
Reason: SelfAttested